न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

अपील प्रकरण क्र.2137–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–4–2013 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 57/अपील/2010–11.

.....

वराह इंफा स्ट्क्चर जोधपुर

द्वारा श्री के0के0सिंह

निवासी 3/4 महाकाल वाणिज्यिक केन्द्र

जिला उज्जैन म0प्र0

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

..... प्रत्यर्थी

.....

श्री अखलाक कुरैशी, अभिभाषक–अपीलार्थी

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 3/11/16 को पारित)

यह अपील, अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–04–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पिपल्याराघो तहसील व जिला उज्जैन स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 23 रकबा 3.64 हेक्टेयर में से अपीलार्थी द्वारा 1,000 घनमीटर मिट्टी का अवैध उत्खनन की रिपोर्ट तहसीलदार को प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा अवैध उत्खनित मिट्टी का बाजार मूल्य

30,000/– प्रस्तावित करते हुये प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13–5–2010 को आदेश पारित कर अवैध उत्खनन प्रमाणित पाते हुये अवैध उत्खनित मिट्टी के बाजार मूल्य रुपये 30,000/– का दोगुना 60,000/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–04–2013 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा बिना मौके पर स्थल निरीक्षण किये केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है, जो कि अवैधानिक कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 247(7) इस प्रकरण में लागू नहीं होती है । तर्क में यह भी कहा गया कि अवैध उत्खनित गड्डे की नाप नहीं की गई, अतः 1000 घनमीटर मिट्टी निकाला जाना बिना किसी आधार के सिद्ध पाया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि संहिता की धारा 247(7) के अन्तर्गत अवैध उत्खनित के संबंध में सीमांकन आवश्यक है और मौके पर कोई भी मशीन जप्त नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैध उत्खननकर्ता ओमप्रकाश अग्रवाल का उल्लेख किया गया है । जब ओमप्रकाश अग्रवाल द्वारा अवैध उत्खनन किया गया है तो अपीलार्थी द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना कैसे सिद्ध पाया गया । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का विधिवत् समुचित अवसर देते हुये साक्ष्य से अपीलार्थी द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित किया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने

में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा भी कोे त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–04–2013 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर